आईएसआई मार्क के दायरे में 85 उत्पाद

लखनऊ, संवाददाता । प्लाईवुड, सैनेटरी नैपकिन व बेबी डायपर समेत 85 उत्पादों को अगले वर्ष से अनिवार्य प्रमाणीकरण योजना में लाया जाएगा। बिना आईएसआई मार्क के यह उत्पाद न तो बनाए जा सकेंगे न ही बेचे जा सकेंगे।

यह जानकारी मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के वरिष्ठ निदेशक व शाखा प्रमुख सुधीर बिश्नोई ने दी। गोमती नगर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस मीट में उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 28 फरवरी से प्लाईवुड पर आईएसआई मार्क प्रमाणीकरण होना अनिवार्य होगा। सेनेटरी नैपकिन और बेबी डायपर भी अगले वर्ष एक जनवरी के बाद बिना आईएसआई प्रमाणीकरण नहीं बिक सकेंगे। बिजली के उत्पादों को भी अनिवार्य प्रमाणीकरण योजना में लाया गया है। इनमें वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक केतली, काफी मेकर, कुकिंग रेंज, शेवर, टिफिन आदि हैं।

जोड़ी वाले आभूषणों के दोनों पीस पर हॉलमार्किंग जरूरी : अगर आप जोड़ी वाले आभूषण खरीद रहे हैं तो दोनों पीस पर हॉलमार्क जरूरी है। बीआईएस के वरिष्ठ निदेशक सुधीर बिश्नोई ने बताया कि जोड़ी में बिकने वाले सोने के आभूषणों जैसे टॉप्स, कंगना, झुमके, चेन के साथ पैंडल आदि में दोनों पर हॉलमार्क होना अनिवार्य है। इनका एचयूआईडी नम्बर भी अलग-अलग होना चाहिए।